XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3447–दो/14 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-6-15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 27/13–14/अ. मा. में पारित आदेश दिनांक 19.9.14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन को स्वीकार करते हुए अपील को अवधि अंदर मान्य किया है । आवेदक द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 32 के आवेदन के साथ शपथपत्र पेश नहीं किए जाने के कारण उन्हें शपथपत्र पेश करने तथा शपथपत्र पेश होने पर संहिता की धारा 32 के आवेदन पर विचार करने के निर्देश दिए हैं । 2/ दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आधार पर अनावेदक के अवधि विधान के आवेदन को स्वीकार किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा वसीयतकर्ता के सभी वारिसों को सूचना पत्र जारी नहीं किए गए हैं केवल एक अनावेदक बाबूलाल स्वयं उपस्थित हुए थे और उनके अपने कथन भी दिए गए हैं शेष वारिसानों को कब सूचना भेजी गई और कब वह उपस्थित हुए इसका उल्लेख नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि अभिलेख से होती है । अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष भी अपनेस्थान पर उचित है	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	अभि… हस्ता…
	कि आवेदक द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत जो आवेदन पेश किया गया है, उसके साथ शपथपत्र नहीं पेश किया है, अतः शपथपत्र पेश करने पर उस पर विचार करने का जो आदेश है उसमें भी कोई त्रुटि नहीं है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है उसमे हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हों । सदस्य	

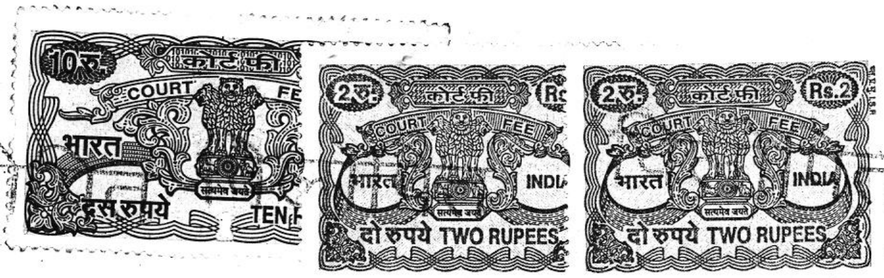

न्यायालय म0प्र0 राजस्व मंडल, ग्वालियर

प्र0क्र0———— R3447-II/14

भगवानलाल पुत्र रामकिशन शिवहरे, निवासी ग्राम रिठौनिया, तहसील कैलारस, जिला मुरैना

——————आवेदक

विरूद्ध

श्री श्रीकृष्ण शर्मा अभिभाषक द्वारा आज दि. 10/10/14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 10/10/14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1—बाबूलाल,
2—पतिराम,
3—बुद्धाराम
पुत्रगण परमसुख
4—रामहेती पुत्री परमसुख
5—त्रिवेणी बेवा मुरारी
6—महेश,
7—दिलीप
पुत्रगण मुरारी
8—सरोज
9—सुनीता,
10—मीरा,
11—अनीता
पुत्रियान मुरारी
सभी जाति शिवहरे, निवासी ग्राम रिठौनिया, तहसील कैलारस, जिला मुरैना——————अनावेदकगण

10/10/14

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ जिला मुरैना के प्र0क्र027/13—14अ0मा0 में पारित आदेश दिनांक 19/9/14 के विरूद्ध पुनःरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता।

श्रीमान्

पुनःरीक्षण निम्नांकित हैः—

1— यह कि आवेदक के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रकट किया कि आवेदक ने तहसीलदार कैलारस के प्र0क्र0 46/12—13Xअᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳᅳ—6 में आदेश दिनांक 11/6/13 से ग्राम रिठौनिया की भूमि सर्वे क्र0 82/2 रकवा 0.11 हे0 पर अनावेदकगण को विधिवत सूचना दिये बिना अनावेदक क्र0 1 लगायत 4 की मां सावित्री के स्थान पर अपने नाम का नामान्तरण करा लिया है जो अनावेदकों के हितों के विपरीत है अतः उसे निरस्त किया जाकर अनावेदकों के नाम का नामान्तरण किया जावे।

2— यह कि अनावेदकों ने अपील के साथ धारा 5 अवधि विधान का आवेदन भी प्रस्तुत किया कि तेहसीलदार कैलारस के आदेश दिनांक 11/6/13 की अनावेदकगणों को यथा समय जानकारी न होने से तथा पटवारी मौजा द्वारा दिनांक 15/5/14 को जानकारी देने पर उन्हें